हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
25	**स्टेट बनाम ईश्वर आदि** **प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी** पत्रावली पेश हुई। वकुलायन फरीकेन उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रार्थीया/अप्रार्थी संख्या 04 अभिभाषक श्री अजय कुमार ओझा उपस्थित। 1. प्रार्थीया/अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी पेश किया गया जिसमें यह निवेदन किया गया कि वादगत भूमि चक 9 बीएसएम बीकानेर के मुरब्बा नंबर 157/60 के किला नंबर 6, 7, 12, 13, 14, 18, 19 तादादी 1.7703 हैक्टयर, यानि 7 बीघा कमाण्ड व किला नंबर 22/2 में तादादी 0.2276 हैक्टयर अर्थात 18 बिस्वा कमाण्ड कुल किता 8 कुल तादादी 1.9979 हैक्टयर अर्थात 7 बीघा 18 बिस्वा कमाण्ड मय ट्यूबवैल भूमि की कृषि भूमि को जरिये बैयनामा दिनांक 17.12.2021 को विक्रेता ईशवरराम नायक पुत्र तेजाराम जरिये मुख्त्यारआम सुशील कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाट से खरीद की गई थी। जो बैयनामा कार्यालय उपपंजीयक बीकानेर द्वितीय से दिनांक 17.12.2021 को विधिवत रूप से पंजीबद्ध शुदा है। इस प्रकार प्रार्थीया उक्त कृषि भूमि की बैयनामा 17.12.2021 से मालिक काबिज व खातेदार काश्तकार है। वादगत भूमि पर अस्थायी निषेधाज्ञा के व्यादेश होने से प्रार्थीया अपनी खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में नहीं करवा पा रही है और ना ही ऋण सुविधा आदि प्राप्त कर पा रही है, ना ही उक्त कृषि भूमि के बाबत भू–रूपांतरण की कार्यवाही करवा पा रही है। प्रार्थीया अपनी उपरोक्त खरीदशुदा कृषि भूमि का नामांतरण राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम दर्ज करवाकर उपरोक्त कृषि भूमि बाबत भू–रूपांतरण की कार्यवाही करना चाहती है। न्यायहित व लोकहित में न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा व्यादेश को निरस्त किया जाना पूर्णतया न्यायोचित है। 2. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी/अप्रार्थी संख्या 04 द्वारा यह कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा वादगत भूमि जरिये बैयनामा दिनांक 17.12.2021 को विक्रेता ईशवरराम नायक पुत्र तेजाराम जरिये	

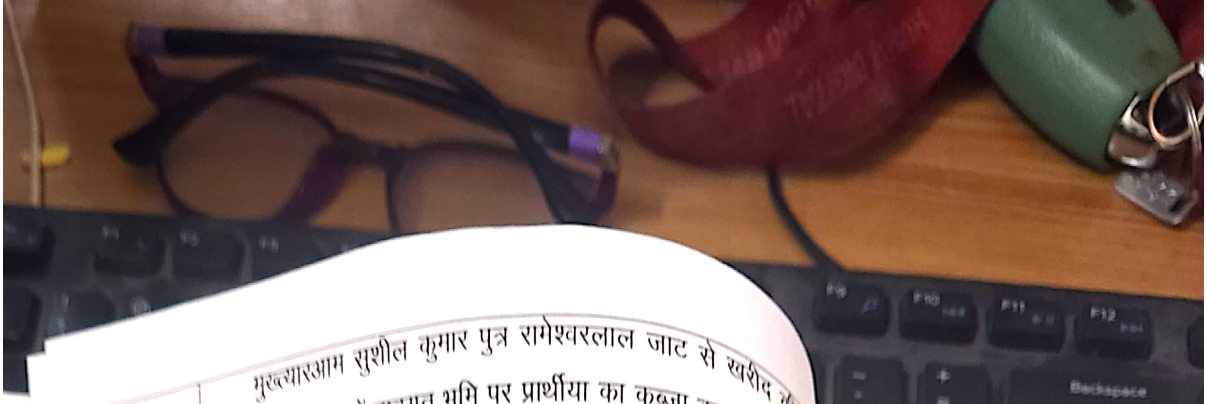

मुख्त्यारआम सुशील कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाट से खरीद की गई थी। वर्तमान में वादगत भूमि पर प्रार्थीया का कब्जा काश्त है। प्रार्थीया अब उक्त रकबे को नामांतरण की कार्यवाही होने पश्चात संपरिवर्तित करवाने हेतु सक्षम कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर अतिशीघ्र कृषि से प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन करवा लेगी। प्रश्नगत भूमि की किस्म परिवर्तन संबंधी कार्यवाही, उक्त प्रकरण के लंबित रहते होना संभव नही है। प्रार्थीया उक्त पत्रावली को सशर्त भूमि किस्म परिवर्तन करवाने के आधार पर पत्रावली का निस्तारण करवाना चाहती है तथा साथ ही अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा यह भी कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा कानून की कोई अवज्ञा नहीं की गयी है तथा प्रार्थीया अपनी भूमि को नामांतरण की कार्यवाही संपन्न होते ही उक्त भूमि को संपरिवर्तित करवाने के लिए तत्पर, इच्छुक व प्रयासरत है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त वाद/प्रकरण इसी स्तर पर निरस्त फरमाया जावे ताकि वादगत भूमि बाबत प्रार्थीया के नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण होने उपरांत प्रार्थीया अपनी भूमि संपरिवर्तन करवा सके।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण न्यायालय में राज्य पक्ष स्टेट की ओर से जरिये तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 ईश्वर पुत्र तेजाराम नायक के विरुद्ध वादगत भूमि पर बिना भू–रूपांतरण कृषि से अकृषि (90 ए) करवाए बिना मौके पर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग में लेने बाबत दिनांक 07.09.2022 को प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 04 श्रीमती शारदा नायक द्वारा प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीया द्वारा वादगत भूमि बैयनामा दिनांक 17.12.2021 को विक्रेता पूर्व खातेदार ईशवरराम नायक पुत्र तेजाराम जरिये मुख्त्यारआम सुशील कुमार पुत्र रामेश्वरलाल जाट से खरीद की गई थी जो बैयनामा कार्यालय उपपंजीयक बीकानेर द्वितीय से दिनांक 17.12.2021 पंजीबद्ध शुदा है। वादगत भूमि पर स्टेट की ओर से 175–177 आरटीए के तहत कार्यवाही लंबित रहने से नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं होना संभव है चूंकि अब प्रार्थीया प्रश्नगत भूमि को संपरितर्वतन करवाकर अकृषि कार्य में उपयोग करना चाहती है जब तक प्रकरण में 177 आरटीए के तहत कार्यवाही विचाराधीन होती है तब तक सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा 177 का उद्देश्य काश्तकार को बेदखल करना नहीं

अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन व
भूमि पर अकृषि कार्य को रोक
तो प्रार्थीया का नाम राजस्व
ही प्रार्थीया संपरिवर्तन सं
प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थ
सकता है। अतः न्यायहित
आरटीए इस शर्त के
प्रार्थीया/अप्रार्थी संख्या
की कार्यवाही प्रारंभ क
सक्षम प्राधिकारी द्वारा
को प्रस्तुत करे अन्य
प्रार्थना पत्र/दावे क
तहसीलदार (राज
कि निर्धारित अवधि
रूपांतरण संबंधी
को रेस्टोर करव
उक्त विवेचन
खारिज किया
आदेश की प्र
निर्णय आज
सुनाया गया

अपितु बिना भूमि संपरिवर्तन करवाए एवं राजस्व जमा करवाए कृषि भूमि पर अकृषि कार्य को रोकना है। चूंकि प्रश्नगत कार्यवाही से ना तो प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो पा रहा है और ना ही प्रार्थीया संपरितर्वतन संबंधी आगामी कार्यवाही कर पा रही है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जा सकता है। अतः न्यायहित में प्रार्थना पत्र अंन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए इस शर्त के साथ खारिज किया जाता है कि प्रार्थीया/अप्रार्थी संख्या 04, 30 दिवस के भीतर भूमि के नामांतरण की कार्यवाही प्रारंभ कर तत्पश्चात 90 दिवस में प्रश्नगत भूमि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा संपरिवर्तित करवा कर उसकी प्रति तहसीलदार को प्रस्तुत करे अन्यथा इस अवधि पश्चात तहसीलदार पुनः इस प्रार्थना पत्र/दावे को रेस्टोर करवाने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर/स्टेट को आदेशित किया जाता है कि निर्धारित अवधि में यदि अप्रार्थी द्वारा प्रश्नगत आराजी के भूमि रूपांतरण संबंधी कार्यवाही नहीं संस्थित की जाती है, तो पुनः वाद को रेस्टोर करवा कर आगामी कार्यवाही करे।

उक्त विवेचन व शर्ताधीन वाद अन्तर्गत धारा 175–177 आरटीए खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व) बीकानेर को प्रेषित की जावे। निर्णय आज दिनांक 19/11/25 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
शहर (बीकानेर)